12/3/18 वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 14/3/18 को पेश हो।

14/3/18 वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने दिनांक 1/3/18 को विरुद्ध प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि चक नं० 195 S.W.D. के खाता संख्या 71/54 की 4.30 है० भूमि की घोषणा एवं खाता तकसीम हेतु वाद प्रस्तुत किया। वाद वादीगण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। दिनांक 6/3/18 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं० 1 ता 8 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी नं० 9 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखा जाकर वाद का निस्तारण किया जावे। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष ने मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण अन्तिम डिक्री किए जाने हेतु तर्क प्रस्तुत किया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन पश्चात वाद वादीगण बरूए राजीनामा दिनांक 8/3/2018 डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि चक 19 S.S.W. के खाता संख्या 71/54 की 4.301 है० भूमि में वादी नं० 1 कृष्णा चन्द्र प० नं० 124/313 (33) कि० नं० 5, 6, 15 प० नं० 124/312 (32) कि० नं० 25 कुल 1.012 है० भूमि के व वादी नं० 2 कुलदीप कुमार प० नं० 125/312 (31) कि० नं० 21 ता 25 की 1.012 हैक्टेयर भूमि के प्रतिवादी नं० 1 रामचन्द्र प० नं० 125/313 (34) कि० नं० 1, 2, 3, 4, 5 की 1.265 हैक्टेयर भूमि के प्रतिवादी सं० 4 विजय कुमार प० नं० 125/313 (34) कि० नं० 8, 9, 10, 11 की 1.012 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी नं० 2, 3 व 5 ता 8 कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं इसलिए इन का कोई हक व हिस्सा नहीं है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड दुरुस्त कर खाता व लगान अलग-2 कायम किया जावे। तादाद 100/- रु० का स्टाम्प तकमील शामिल फाईल करवाया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। व्यय वाद उभय पक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना-2 वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश बसरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner